रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1282] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2015/ज्येष्ठ 29, 1937
No. 1282] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2015/JYAISTHA 29, 1937

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 2015

का.आ. 1641(अ).—जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को एक अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 883 (अ) जारी किया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया, केन्द्रीय सरकार ने लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 5 के साथ पठित लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए सिक्किम सरकार को केरल राज्य के भू-भाग के भीतर उनकी लॉटरियों की बिक्री करने से प्रतिषिद्ध किया;

2. और जबकि, सिक्किम राज्य लॉटरी के वितरक, मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 7768 में भारत सरकार के उक्त आदेश को चुनौती दी।

3. और जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2014 के अपने आदेश के तहत केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय को निदेश दिया कि वह अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय ले;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने मामले (यहां परिशिष्ट–क के रूप में संलग्न) के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर उक्त दो वर्षों की अवधि के बाद सिक्किम राज्य सरकार पर उक्त प्रतिषेध को आगे बढ़ाना आवश्यक समझा है।

अब, इसलिए, लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 5 के साथ पठित लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अगले आदेशों तक सिक्किम सरकार को केरल राज्य के भू-भाग के भीतर उनकी लॉटरियों की बिक्री से प्रतिषिद्ध करती है।

[फा. सं. वी/17014/4/2010-सी एस आर-I]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-'क'

मामला विश्लेषण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.12.2011 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 883 (अ) जारी किया:-

(i) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, केरल राज्य के भू-भाग के भीतर सिक्किम सरकार की लॉटरियां नहीं बेची जाएंगी;

(ii) उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के बाद, सिक्किम सरकार, केरल सरकार के नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, केरल राज्य में पुन: लॉटरी व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति हेतु लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 और लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 का सम्यक अनुपालन करते हुए आवेदन करेगी और केरल सरकार के संतुष्ट हो जाने पर सिक्किम सरकार केरल राज्य में लॉटरी व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकती है।

2. सिक्किम राज्य लॉटरी के वितरक, मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स ने सिक्किम उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 में उपर्युक्त अधिसूचना को चुनौती दी जिसने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया तथा याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया। याचिकाकर्ता ने सिक्किम राज्य पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 7768 दायर की क्योंकि उनको इस प्रतिबंध के कारण सिक्किम राज्य लॉटरी की बिक्री के अधिकार का नुकसान हो रहा था।

3. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 7768/12 में दिनांक 16.10.2014 को आदेश पारित किया जिसमें इस मंत्रालय को यह निदेश दिया गया कि:

(i) याचिकाकर्ता मंत्रालय को अभ्यावेदन देगा और प्रतिवादी संख्या 1 (गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार) द्वारा इस पर समयबद्ध तरीके से विचार किया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 केरल राज्य को सुने जाने का अवसर देने के बाद, इसकी प्राप्ति के 10 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना उसके बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता तथा अन्य संबंधित पक्षकारों को दी जाएगी।

(iii) यदि याचिकाकर्ता या कोई प्रतिवादी अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो वह उपयुक्त फोरम के समक्ष इसको चुनौती दे सकता है।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में सभी संबंधित पक्षकारों, अर्थात् 1. केरल सरकार, 2. सिक्किम सरकार और 3. मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स को गृह मंत्रालय द्वारा सुनवाई के लिए बुलाया गया तथा उनको मौखिक रूप से और लिखित रूप में अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केरल सरकार का प्रतिनिधित्व श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, सचिव, कर तथा दो अन्य द्वारा किया गया, मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन का प्रतिनिधित्व श्री जे. धमीजा, प्रोपराइटर तथा श्री ऋषि कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता तथा उनके एसोसिएट द्वारा किया गया और सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व श्री एन.डी. भाटा, संयुक्त सचिव, सिक्किम राज्य लॉटरी तथा विधि अधिकारी द्वारा किया गया। केरल सरकार, मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स के लिए दिनांक 23.12.2014 को तथा सिक्किम सरकार के लिए दिनांक 07.01.2015 को सुनवाई की गई।

5. सुनवाई के दौरान:- (क) केरल सरकार के प्रतिनिधियों ने दिनांक 23.12.2014 को मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया कि :

(i) लॉटरी (विनियमन) अधिनियम,1998 का नियम 12 राज्य को लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

(ii) मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स केरल राज्य में पेपर लॉटरियों की बिक्री के लिए सिक्किम सरकार का वितरक है तथा इसे प्रतिबंध के विरुद्ध मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध सिक्किम राज्य सरकार पर था न कि मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स पर।

(iii) लॉटरी नियमावली के अनुसार यह अनिवार्य है कि लॉटरी टिकटें सुरक्षित प्रेस में मुद्रित किए जाने चाहिए किंतु सिक्किम लॉटरी की दशा में टिकटें सुरक्षित प्रेस में मुद्रित नहीं किए जा रहे थे।

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुल 32 मामले पंजीकृत किए गए थे जिनमें से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 22 मामलों के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, यद्यपि केरल राज्य ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की राय का विरोध किया था। 7 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है और शेष 3 मामलों में जांच अभी भी चल रही है।

(v) सिक्किम राज्य की 16.8 लाख रुपए के लॉटरी टिकटें प्रतिबंध की अवधि के दौरान भी नेदुमबेसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि में जब्त किया गया।

(vi) यह भी सूचित किया गया कि वही वितरक केरल राज्य में भूटान लॉटरियों की बिक्री कर रहा था तथा ये कार्रवाइयां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जांच के अधीन भी थीं और जांच पूरी होने तक भूटान लॉटरियों की बिक्री केरल राज्य में प्रतिबंधित थी। इसी आधार पर उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह केरल में सिक्किम लॉटरी से संबंधित मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश सुनाए जाने तक केरल राज्य में सिक्किम राज्य लॉटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखे।

(ख) **मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स ने दिनांक 23.12.2014** को मंत्रालय के समक्ष यह कहा कि :

(i) उन्होंने वर्ष 2011 में माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया था जिन्होंने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को स्वीकार न करते हुए तथा उनको दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया। उन्होंने वर्ष 2012 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया क्योंकि वह दिनांक 15.12.2011 को सिक्किम लॉटरियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण बिक्री का अधिकार खो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010, 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया तथा राज्यों को कोई संक्रमण काल नहीं दिया गया। उस समय सिक्किम लॉटरियां महालक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स में मुद्रित की जा रही थीं जिसे यद्यपि पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले अनुमोदित किया गया था, किंतु उस समय यह अनुमोदन के नवीकरण के प्रक्रिया में था और इसलिए राज्य लॉटरी टिकटें एक माह की अवधि के लिए असुरक्षित प्रेस में मुद्रित करवा रहा था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबंध लगाया गया।

(ii) उन्होंने बचाव में यह भी कहा कि सिक्किम राज्य प्रतिबंध की अवधि के दौरान केरल में लॉटरियों की किसी बिक्री में शामिल नहीं था।

(iii) मेसर्स फ्यूचर गेमिंग के अधिवक्ता ने मंत्रालय को यह भी सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अपने स्वयं की लॉटरियां चलाने वाला कोई भी राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा लॉटरियों की बिक्री को नहीं रोक सकता है।

(iv) मंत्रालय के ध्यान में यह बात भी लायी गई जो केरल में अपनी लॉटरियां बेचने की इच्छुक अन्य राज्य सरकारों जो केरल में अपनी लाटरियां बेचना चाहती हैं, पर केरल राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रभार काफी अधिक हैं जो फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन की राय में केन्द्रीय सरकार के लॉटरी अधिनियम और नियमावली की भावना के विपरीत था।

(v) प्रतिनिधियों ने यह अनुरोध किया कि चूंकि केरल में लॉटरियों की बिक्री पर दिनांक 15.12.2011 को लगाए गए प्रतिबंध की अवधि पहले ही दिनांक 15.12.2013 को समाप्त हो गई है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए तथा सिक्किम राज्य लॉटरियों की बिक्री को केरल राज्य में अनुमति दी जानी चाहिए ।

(vi) उन्होंने केरल सरकार द्वारा लगाए गए आरोप का यह कहकर बचाव किया कि सिक्किम राज्य की 16.8 लाख रु. की लॉटरी टिकटें प्रतिबंध की अवधि के दौरान नेदुम्बेसरी अंतर राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोच्चि में बरामद की गई।

(vii) उन्होंने यह भी सूचित किया कि सिक्किम सरकार के साथ उनका मौजूदा करार 31.01.2015 को समाप्त हो रहा है।

(ग) **सिक्किम राज्य लॉटरी ने दिनांक 07.01.2015** को मंत्रालय के समक्ष निवेदन किया कि:-

(i) चूंकि दो वर्ष के प्रतिबंध की अवधि दिनांक 15.12.2013 को समाप्त हो गई है इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।

(ii) बिक्री से प्राप्त आय की राशि, जिसमें यथा अनुपात आधार पर करार के अनुसार वितरक द्वारा राज्य सरकार को दिया गया न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व, कागज की लागत, मुद्रण प्रभार, मुद्रित टिकटों के परिवहन प्रभार, जो संबंधित वितरक को दिए गए हैं, बीजक के अनुसार वितरक से प्राप्त बिना दावे वाले पुरस्कार शामिल हैं, सिक्किम राज्य की समेकित निधि में जमा की जाती है।

(iii) लॉटरी नियमावली के अनुसार यदि कोई योजना नियमावली के अनुसार नहीं पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है या इसे बदलने के लिए कहा जा सकता है, किंतु उनके मामले में मंत्रालय ने उनकी लॉटरियों को केरल राज्य में विपणन किए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

(iv) चूंकि प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना की अवधि दिनांक 15.12.2013 को समाप्त हो गई है, इसलिए उन्होंने केरल सरकार से अनुमति लेने का प्रयास किया था, किंतु अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम राज्य लॉटरियों को केरल में बेचने की अनुमति नहीं देकर केरल सरकार का एकमात्र इरादा अपने राज्य में अपने लॉटरी बाजार का एकाधिकार बनाए रखना था; और

(v) वे बिना किसी समस्या के कई अन्य राज्यों में पिछले 30 वर्षों से अपनी लॉटरियां दक्षतापूर्वक और तत्परता से आयोजित कर रहे हैं।

5. दिनांक 07.01.2015 को हुई सुनवाई के दौरान सिक्किम सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2010-2014 के दौरान सिक्किम सहित विभिन्न राज्यों में चल रहे सिक्किम के लॉटरी व्यवसाय का ब्यौरा प्रस्तुत करे और तदनुसार मंत्रालय द्वारा सिक्किम सरकार को प्रोफार्मा प्रदान किया गया था।

6. सिक्किम राज्य लॉटरी निदेशालय ने दिनांक 09.03.2015 के अपने पत्र, अनुलग्नक-I में संलग्न, के तहत पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2010-14 के दौरान सिक्किम सहित केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में चल रहे लॉटरी व्यवसाय का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत आंकड़ों के अवलोकन के बाद निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :-

(i) सिक्किम में सिक्किम राज्य के लॉटरी व्यवसाय के मामले में वर्ष 2011 के लिए मुद्रित टिकटों की कुल संख्या 199,00,000 है और दिया गया कुल अंकित मूल्य (एम आर पी) 290,31,137 है जबकि यदि हम सभी टिकटों के लिए प्रति टिकट केवल दो रुपए का अंकित मूल्य भी हिसाब में लेते हैं तो कुल अंकित मूल्य 390,00,000 रु. (199,00,000x2=390,00,000 रु.) आता है जबकि इसे 290,31,137 रुपए दिखाया गया है जिससे पता चलता है कि एक ही वर्ष में 99,68,863 रुपए का अंतर है। यह भी सूचित किया गया है (विवरण के अभियुक्ति कॉलम में) कि टिकटों का अंकित मूल्य 2 रुपए से लेकर 100 रु. तक है। इसी प्रकार आंकड़ों (विवरण में दर्शाया गया) से स्पष्ट है कि दर्शाए गए टिकटों की कुल संख्या 11,855.41 करोड़ है और यदि प्रत्येक टिकट का अंकित मूल्य दो रुपए लिया जाता है तो भी सभी टिकटों का अंकित मूल्य 23,710.80 करोड़ रुपए (2x11,855.4=23,710.80) बनता है जबकि अंकित मूल्य 23,860.16 करोड़ रुपए दर्शाया गया है जिससे

लगभग केवल 150 करोड़ रुपए का शेष रह जाता है, जो कि 2 रुपए से अधिक टिकटों के अंकित मूल्य के आधार पर काफी अधिक होना चाहिए।

सिक्किम राज्य लॉटरी निदेशालय की अभ्युक्तियों (टिकटों का कुल अंकित मूल्य अभिनिश्चित करने के बारे में कॉलम संख्या 11 में), जिनमें यह कहा गया है कि यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न टिकटों के लिए एम आर पी अलग-अलग 2 रुपए से लेकर 100 रु. तक है, से प्रतीत होता है कि सिक्किम सरकार ने विभिन्न अंकित मूल्यों के लॉटरी टिकटों का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा है।

(ii) सिक्किम सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े का आगे और अवलोकन करने से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है:-

(क) मुद्रित टिकटों की संख्या - 11,855.41 करोड़ है।

(ख) बेचे गए टिकटों की संख्या 11,243.51 करोड़ है।

(ग) नहीं बेचे गए या वापस किए गए टिकटों की संख्या 662.70 करोड़ है।

उपयोग किए गए कुल टिकट (ख)+(ग)=11906.21 करोड़ जो कि मुद्रित कुल टिकटों से अधिक है।

यह स्पष्ट है कि सिक्किम सरकार के विवरण के अनुसार 50.81 करोड़ टिकट विवरण में उल्लिखित मुद्रित टिकटों की संख्या से अधिक है जिससे पता चलता है कि सिक्किम सरकार समुचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है और वितरक के कार्यकरण पर सिक्किम सरकार द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

उपर्युक्त I एवं II में दर्शाए गए अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य ने लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 की धारा/खंड 3 (16) एवं 4(5) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार अपने टिकटों का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा है। लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 की संगत धारा/खंड नीचे दिया गया है:-

3(16) : "संचालक राज्य मुद्रित टिकटों, बिक्री के लिए जारी टिकटों, बेचे गए टिकटों, ड्रा के समय बेचने से शेष रह गए टिकटों और पुरस्कार विजेता टिकटों और साथ ही प्रत्येक ड्रा के संबंध में पुरस्कार या पुरस्कारों की राशि का रिकॉर्ड संचालक राज्य द्वारा विहित तरीके से रखेगा" और

4(5) : "वितरक या बिक्री एजेंट बिना नहीं बेचे गए टिकटों को संगठन राज्य को वापस कर देंगे और टिकटों की बिक्री के माध्यम से संगठन राज्य की समेकित निधि या पब्लिक लेजर खाता में जमा की गई धनराशि के चालान सहित पूरा लेखा-जोखा रखा जाएगा।"

(ii) सिक्किम राज्य की समेकित निधि में जमा धनराशि (5 वर्षों के लिए सभी राज्यों हेतु) 354.46 करोड़ रुपए सूचित की गई है (न कि बेचे गए टिकटों का अंकित मूल्य, जो कि कम से कम 22487.02 करोड़ रु. होना चाहिए)। ऐसा लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के खंड 3 (17) और 4 (4) के अनुसार है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

3(17) : ''संगठन राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से के आगामीं जो वितरकों या बिक्री एजेंटों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होते हैं, को संगठन राज्य की समेकित निधि या पब्लिक लेजर खाता में जमा किया जाता है।

4(4): "संगठन राज्य पब्लिक लेजर खाता या समेकित निधि में इस प्रकार जमा की गई धनराशि में से वितरकों या बिक्री एजेंटों को उनको देय कमीशन तथा वितरकों या बिक्री एजेंटों द्वारा विजेताओं को संवितरित पुरस्कार राशि का भुगतान करेगा"।

इसलिए यह स्पष्ट है कि सिक्किम राज्य लॉटरियों ने लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 का अनुपालन नहीं किया है।

(iii) सिक्किम राज्य वितरक द्वारा रोक रखी गई राशि के बारे में सूचित नहीं कर सका। मुद्रित टिकटों के कुल अंकित मूल्य, बेचे गए टिकटों और नहीं बेचे गए/वापस किए गए टिकटों की कुल धनराशि सहित इस आंकड़े को नहीं रखे जाने को ध्यान में रखते हुए यह पता चलता है कि राज्य ने लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के खंड 3 (19) के अनुसार समुचित वार्षिक वित्तीय एवं प्रणालीगत लेखापरीक्षा नहीं कराया है। लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के खंड 3 (19) में यह कहा गया है कि :-

3 (19) : "आयोजनकर्ता प्रत्येक राज्य ऑनलाइन लॉटरी सहित अपने द्वारा आयोजित विभिन्न लॉटरी स्कीमों की वार्षिक वित्तीय एवं प्रणालीगत लेखापरीक्षा आयोजित करेगा"।

7. चूंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सिक्किम राज्य लॉटरियों की जांच कर रहा है इसलिए इस मंत्रालय ने उपर्युक्त मामलों पर उनकी टिप्पणियां मांगी है। उनकी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2010 के दौरान सिक्किम लॉटरी से संबंधित 32 मामले केरल में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। केरल सरकार ने दिनांक 18.06.2011 के जी ओ(एम एस) संख्या 130/2011/होम/त्रिवेन्द्रम अर्थात् डी एस पी ई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना के तहत इनको जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो रेफर कर दिया था। इसके उपरांत केन्द्रीय सरकार ने भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त मामलों की जांच के लिए लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को संपूर्ण बिक्री आगमों को सिक्किम सरकार के खजाने में जमा करना चाहिए था और सिक्किम सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सिक्किम सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि लॉटरी टिकटों की बिक्री के आगमों को समेकित निधि में जमा किया जाए। इस प्रकार मैसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने बिक्री आगमों का 97.44 प्रतिशत सिक्किम सरकार को अदा नहीं किया था। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि लॉटरी मामलों की जांच के दौरान डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सिक्किम सरकार की सहमति मांगी गई थी। तथापि, सिक्किम सरकार ने डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सहमति देने से मना कर दिया था। इसलिए, सिक्किम सरकार के अधिकारियों की ओर से उल्लंघनों/अनियमितताओं के संबंध में जांच नहीं की जा सकी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने केरल सरकार द्वारा लड़े जा रहे 7 मामलों में आरोप पत्र, 22 मामलों के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, तथा शेष 3 मामलों में अभी भी जांच चल रही है। उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह अनुरोध किया कि केरल में सिक्किम राज्य लॉटरियों के बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को आगे और बढ़ाया जाए।

8. दिनांक 09.03.2015 के पत्र के तहत सिक्किम राज्य लॉटरियों द्वारा दिए गए विवरण, केरल सरकार तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के विश्लेषण के मद्देनजर, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सिक्किम सरकार ने लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 और लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों का अक्षरश: पालन नहीं किया है। इसलिए लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के नियम 5 के साथ पठित लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है:-

"भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.12.2011 के सा.का.नि. 883 के तहत केरल राज्य में सिक्किम सरकार की लॉटरियों की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध अगले आदेशों तक जारी रहेगा। केरल में सिक्किम लॉटरियों की अवैध बिक्री करने से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष तथा विचारण न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर सिक्किम सरकार केरल राज्य में सिक्किम राज्य लॉटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध को हटाने के लिए अपना प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।"

पिछले 5 वर्षों अर्थात् 2010-14 के दौरान विभिन्न राज्यों में सिक्किम राज्य के चल रहे लॉटरी व्यवसाय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

क्र.सं.	राज्य (सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र आदि)	वर्ष	मुद्रित टिकटों की कुल संख्या	कुल अंकित मूल्य	बेची गई टिकटों की संख्या	बेची नहीं गई/ वापस की गई टिकटों की सं.	सिक्किम की समेकित निधि में जमा की गई राशि	पुरस्कारों में वितरित धनराशि	वितरक द्वारा वर्जित/प्रतिधारित राशि
1	सिक्किम	2010	-	-	-		-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	19900000	29031137	19900000			25326656	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	303200000	429734243	303200000			413698899	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	227440000	332468120	227440000			315972769	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	14000000	56597629	14000000			50112560	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
			564540000	**847831129**	**564540000**			**805110884**	
2	केरल	2010	5342550000	22733340129	2705083670	2637466330		22403843924	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
			5342550000	**22733340129**	**2705083**	**2637466330**		**22403843924**	
3	महाराष्ट्र	2010	3850000	12613108	1483895	2366105		11461114	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	-	-	-	-		-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	22500000	332047592	22500000	-		323299540	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	6000000	48923902	4183600	1816400		44199865	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	91440000	647131851	74583050	16856950		610686322	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
			123790000	**1040716453**	**102750545**	**21039455**		**989646841**	
4	गोवा	2010	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
5	पंजाब	2010	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	-	-	-	-	-	-	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
6	पश्चिम बंगाल	2010	5624145500	4963981462	3032577123	2591568377	-	4949276613	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2011	19280189200	27936996166	17903186736	1377002464	-	27588897958	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2012	25582200000	36204865580	25582200000	-	-	35677269236	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2013	38219550000	59553311935	38219550000	-	-	58723221221	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
		2014	24325250000	85320626030	24325250000	-	-	84717061841	अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता
			113031334700	**213979781173**	**109062763859**	**3968570841**		**211655726869**	

1. कॉलम 5 के संबंध में, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि साप्ताहिक और बम्पर लॉटरियों की विभिन्न स्कीमों के लिए विभिन्न टिकटों के लिए 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के भिन्न-भिन्न एम आर पी हैं। इसलिए एम आर पी के आधार पर टिकटों का कुल अंकित मूल्य अभिनिश्चित करना और किसी एक धनराशि पर पहुंचना कठिन है।

2. (i) क्रम संख्या 7 के कॉलम 8 के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि अलग-अलग राज्यों से एकत्र किया गया कोई भी राजस्व राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए कुल राजस्व को एक जगह मिलाया गया है और सिक्किम की समेकित निधि में जमा किया गया है।

(ii) आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि उक्त समेकित निधि में इस प्रकार जमा की गई धनराशि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) केन्द्रीय कर राशि सहित कर योग्य पुरस्कार धनराशि

(ख) प्रिंटिंग, कागज एवं परिवहन प्रभार

(ग) करार के अनुसार इस राज्य सरकार के लिए न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व

3. (i) कॉलम 9 में दर्शायी गई राशि में कर योग्य एवं बिना कर योग्य, दोनों पुरस्कार राशि शामिल हैं।

(ii) कॉलम 8 में दर्शायी गई राशि में ऊपर क्रम संख्या 2 में दर्शाए गए अनुसार, विभिन्न प्रभारों के लिए किए गए भुगतान और साथ ही सरकार द्वारा पुरस्कार विजेताओं/दावाकर्ताओं में वितरित की जाने वाली कर योग्य पुरस्कार राशि के लिए प्रेषित भुगतान भी शामिल हैं।

7	सिक्किम की समेकित निधि में रकम जमा कर दी गई है।	2010					779991876			
		2011					402897283			
		2012					663873378			
		2013					969266170			
		2014					728651026			
			118554128700	**238601668884**	112435138074	**6627076626**	3544679733	**35854328518**		

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 12th June, 2015

S.O. 1641(E).—Whereas, the Ministry of Home Affairs, Government of India issued a Notification No.G.S.R.883 (E), dated the 15th December,2011published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Lotteries (Regulation) Act,1998 read with Rule 5 of the Lotteries (Regulation) Rules,2010, prohibited the Government of Sikkim from sale of its lotteries within the territory of the State of Kerala, for a period of two years from the date of publication of the said order;

2. And whereas, M/s Future Gaming Solutions, the distributor of Sikkim State Lotteries challenged the said order of the Government of India in WP (C) No.7768 of 2012 before the Hon'ble High Court of Delhi dated the 5th December,2012.

3. And whereas, the Hon'ble High Court of Delhi vide its order dated 16th October, 2014 directed the Central Government in the Ministry of Home Affairs, inter-allia, to decide in a time bound manner the representation of the petitioner;

And whereas, the Central Government, on the basis of detailed analysis of the case (appended herewith as Appendix 'A'), has considered it necessary to further extend the said prohibition on the State Government of Sikkim beyond the said period of two years.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Lotteries (Regulation) Act,1998 (17 of 1998) read with Rule 5 of the Lotteries (Regulation) Rules,2010, the Central Government hereby prohibits the Government of Sikkim from sale of its lotteries within the territory of the State of Kerala, until further orders.

[F. No. V/17014/4/2010-CSR-I]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.

PPENDIX 'A'

CASE ANALYSIS :

The Ministry of Home Affairs, Government of India issued a Notification No.G.S.R.883 (E) dated 15.12.2011 and ordered the following:-

(i) Lotteries of the Government of Sikkim shall not be sold within the territory of the State of Kerala for a period of 2 years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(ii) After the above period is over, the Government of Sikkim shall apply with due compliance of the Lotteries (Regulation) Act,1998 and the Lotteries (Regulation) Rules,2010 for permission to start the lotteries business in the State of Kerala again, as per the rules and processes of the Government of Kerala upon whose satisfaction the lottery business of the Government of Sikkim may restart in the State of Kerala.

2. M/s Future Gaming Solutions, the distributor of Sikkim State Lotteries challenged the above Notification in 2011 before the Sikkim High Court which declined territorial jurisdiction and had relegated the petitioner to the High Court of Delhi. The petitioner again filed the WP (C) No.7768 of 2012 at Hon'ble Hight Court of Delhi against the ban imposed by the Government of India on the State of Sikkim because he was losing the right to sale of Sikkim State Lotteries owing to this ban.

3. The Hon'ble High Court of Delhi on 16.10.2014 passed an Order in W.P. (C) No.7768/12 directing this Ministry that :

(i) The Petitioner will make the representation to the Ministry and the same may be decided by the respondent No.1 (Ministry of Home Affairs, Central Government) in time bound manner.

(ii) The representation filed by the petitioner shall be decided within 10 weeks after the receipt of the same after giving an opportunity of being heard of respondent No.2, the State of Kerala. The decision taken by the respondent No.1 shall be communicated to the Petitioner and other parties concerned within one week thereafter.

(iii) If the petitioner or any respondent is still aggrieved with the decision taken by the respondent No.1, they may challenge before appropriate forum.

4. In compliance of the above order of the Delhi High Court, all the concerned parties i.e. (i) Government of Kerala, (ii) Government of Sikkim and (iii) M/s Future Gaming Solutions were called for hearing by the Ministry of Home Affairs and were given the opportunity to present their case orally as well as in writing. The Government of Kerala was represented by Shri Rabindra Kumar Agarwal, Secretary Taxes and two others, M/s Future Gaming Solutions was represented by Shri J. Dhameeja, Propriter and Shri Rishi Kumar Agarwal, Advocate and his associate and the Government of Sikkim was represented by Shri N.D. Bhata, Joint Secretary, Sikkim State Lotteries and the Law Officer. The hearings were held on 23.12.2014 for the Government of Kerala, M/s Future Gaming Solutions and on 7.1.2015 for the Government of Sikkim respectively.

5. During the hearing, the representatives of :-

(a) Government of Kerala on **23.12.2014** brought to the notice of the Ministry that:

(i) Rule 12 of the Lotteries (Regulation) Act -1998, delegates power to the State to make rules to carry out provisions of the Lotteries (Regulation) Act, 1998.

(ii) M/s. Future Gaming Solutions is the distributor of Sikkim Government for sale of paper lotteries in the State of Kerala and it has no locus standi to file the case against the ban because the ban imposed by the Government of India was on the State Government of Sikkim and not on M/s Future Gaming Solutions.

(iii) As per the lottery rules it is mandatory that the Lottery tickets should be printed in a secured press but in the case of the Sikkim Lottery, tickets, were not being printed in a secured press as mandated by the lotteries rules.

(iv) There were 32 cases in total registered by CBI, out of which closure report for 22 cases had been submitted by the CBI, though the State of Kerala has contested CBI's view. In 7 cases, charge-sheet has been filed by CBI and investigation is still going on in the remaining 3 cases.

(v) The lottery tickets of Sikkim State amounting to Rs. 16.8 lakhs were seized at Nedumbassery International Airport, Kochi even during the ban period.

(vi) It was also informed that the same distributor was conducting sale of Bhutan lotteries in the State of Kerala and these operations are also under CBI investigation and till the completion of investigations the sale of tickets of Bhutan lotteries had also been banned in the State of Kerala. On similar lines, they requested the Ministry to continue the ban on the sale of Sikkim State Lotteries in the State of Kerala till the final orders are pronounced by the CBI Court in cases related to Sikkim Lottery in Kerala.

(b) **M/s Future Gaming Solutions on 23.12.201**4 submitted before the Ministry that:

(i) They had filed the case in 2011 at the Hon'ble High Court of Sikkim which declined territorial jurisdiction and had relegated them to the High Court of Delhi. In 2012, they filed the case at Hon'ble High Court of Delhi because it was losing the right to sale owing to the ban imposed by the Central Government on Sikkim Lotteries on 15.12.2011. They also submitted that the Lotteries (Regulation) Rules, 2010 became operational from 1st April, 2010 and there was no transition period provided to the States. At that time Sikkim lotteries were being printed at Mahalakshmi Offset Printers, Sivakasi, which although was earlier approved by RBI but at that time was in the process of renewal of the approval and therefore, the State was getting the lottery tickets printed at an unsecured press for a period of one month leading to the ban.

(ii) They also defended that the State of Sikkim was not involved in any sale of lotteries in Kerala during the ban period.

(iii) The Advocate for M/s Future Gaming also informed the Ministry that as per the Supreme Court ruling, any State conducting its own lotteries cannot stop the sale of lotteries by other States in its jurisdictional area.

(iv) It was also brought to the notice of the Ministry that the Charges levied by the State Government of Kerala on the other State Governments who prefer to sell their lotteries in Kerala are very high which in the opinion of the Future Gaming Solutions was contrary to the spirit of the Lotteries Act and Rules of Central Government.

(v) The representatives requested that since the period of ban imposed on 15.12.2011 on sale of lotteries in Kerala was already over on 15.12.2013 so it should be revoked and sale of Sikkim State lotteries be allowed in the State of Kerala.

(vi) They defended the allegation made by the Govovernment of Kerala that the lottery tickets of Sikkim State amounting to Rs. 16.8 lakhs were seized at Nedumbassery International Airport, Kochi during the ban period.

(vi) They also informed that their present agreement with the Government of Sikkim is expiring on 31.1.2015.

(c) **Sikkim State Lotteries on 7.1.2015** submitted before the Ministry that:

(i) Since the ban period of 2 years is over on 15.12.2013, it should be revoked.

(ii) The total sale proceeds consisting of minimum Assured Revenue given to the State Government by the distributor as per agreement on the pro-rata basis, cost of paper, printing charges, Transportation charges of printed tickets given to the concerned distributor, unclaimed prizes received from the distributor as per their invoice are credited to the consolidated fund of the State of Sikkim.

(iii) As per Lottery Rules a particular scheme could be banned or be asked to change it if it is found not in accordance with the Rules, but in their case, the Ministry has totally banned their lotteries from being marketed in the State of Kerala.

(iv) Since the ban notification period has expired on 15.12.2013, they tried to take permission from the Govt. of Kerala but it was not given. They also submitted that by not allowing the sale of Sikkim State lotteries in Kerala the only motive of Kerala Government was to monopolise its own lottery market in their State; and

(v) They have been efficiently and promptly organizing its lotteries since last 30 years in various other States without any problem.

5. During the course of hearing held on 7.1.2015, Government of Sikkim was requested to furnish the details of the lottery business of Sikkim running in various States including Sikkim during the last five years i.e.2010-2014 and accordingly a proforma was provided to Government of Sikkim by the Ministry.

6. The Directorate of Sikkim State Lotteries vide its letter dated 9.3.2015, placed at Annexure-I has submitted details of its Lottery business running in the States of Kerala, Maharashtra, Goa, Punjab and West-Bengal including Sikkim for the last five years i.e. 2010 to 2014.

On going through the data submitted, following anomalies are observed.

i) In case of lottery business of Sikkim State in Sikkim, the total number of tickets printed for the year 2011 is 199,00,000/- and the total face value (MRP) given is Rs.290,31,137/- whereas even if we take the face value of each ticket as Rs.2/-only for all tickets the total face value would have been Rs.390,00,000/- (199,00,000 X 2=390,00,000) whereas it has been shown as Rs.290,31,137/- which shows that there is a difference of Rs.99,68,863/- in a single year. It has also been informed (in the remarks column of the Statement) that the face value of tickets varied from Rs. 2 to 100/-. Similarly, it is evident from the data (shown in the statement) that the total number of tickets shown is 11,855.41 crore, and even if the face value of each ticket is taken as Rs.2/- then also the total face value of all tickets should have been Rs.23,710.80 crore [Rs.2 X 11855.4=Rs.23,710.80 crore] whereas the face value shown is Rs.23,860.16 crore leaving a balance of nearly Rs.150 crore only which should have been much higher depending upon the face values of tickets above Rs.2/-From the as well as and the remarks of the Dte. of Sikkim State Lotteries [in Column No.11 regarding ascertaining the total face value of the tickets] which states that it cannot be ascertained because there are different MRP's for different tickets varying from Rs.2 to 100/- it appears that proper records of lottery tickets of different face values have not been maintained by the Government of Sikkim.

(ii) Further perusal of the data furnished by the Government of Sikkim reveals the following:

(A) Number of tickets printed is 11,855.41 Crore.

(B) Number of ticket sold is 11,243.51 Crore.

(C) Number of tickets unsold or returned is 662.70 Crore.

Total tickets utilized (B) + (C) =11906.21 Crore which is more than the total tickets printed.

It is evident that as per the statement of Sikkim Government, 50.81 crore number of tickets are in excess of the number of tickets printed mentioned in the statement, which shows that Sikkim Government is not keeping proper records and there is no proper check maintained by the Sikkim Government on the functioning of the distributor.

From observations indicated at (i) and (ii) above, it is inferred that the State has not maintained the proper records of its tickets as required under section/clause 3(16) & 4(5) of the Lotteries (Regulation) Rules,2010. The relevant section/clause of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010 are given below:-

Proforma for furnishing the details of the Lottery business of State of Sikkim running in various States during the last five years i.e. 2010-2014.

3(16): "The Organizing State shall keep records of the tickets printed, tickets issued for sale, tickets sold, tickets which remain unslold at the time of the draw, and the prize winning tickets along with the amount of prize or prizes in respect of each draw, in the manner prescribed by the Organizing State" and

4(5):"The distributors or selling agents shall return the unsold tickets to the Organizing State with full accounts along with the challans of the money deposited in the Public Ledger Account or in the Consolidated Fund of the Organizing State through the sale of tickets".

(iii) Amount deposited in the Consolidated fund of Sikkim State (for all States, for five years, taken together) has been intimated as Rs.354.46 crore (and not the face value of sold tickets which should have been at least Rs. 22487.02 crore) as per clause 3(17) and 4(4) of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010 which states as under:-

3(17) : "The organizing State shall ensure that proceeds of the sale of lottery tickets, as received from the distributors or selling agents or any other source, are deposited in the Public Ledger Account or in the Consolidated Fund of the Organizing State".

4(4) : "The Organizing State shall pay to the distributors or selling agents any commission due to them and the prize amounts disbursed by the distributors or selling agents to the winners, if any, out of the money so deposited in the Public Ledger Account or in the Consolidated fund of the Organizing State".

So it is evident that Sikkim State Lotteries has not followed the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.

(iv) The State of Sikkim could not inform about the amount retained by the Distributor. In view of non-maintenance of this data alongwith the total face value of tickets printed, total amount due for sold tickets and unsold/returned tickets' amount, it shows that the State has also not undergone proper annual financial & System audit as per clause 3 (19) of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010 which states that:

3(19) : "Every Organizing State shall conduct an annual financial and systems audit of the various lottery schemes organized by it including online lottery".

7. As the CBI also is investigating cases of Sikkim State Lotteries, this Ministry called for the comments of CBI on the above matter. It is mentioned in their report that 32 cases related to Sikkim Lottery were registered in different Police Stations in Kerala during 2010. These were referred to the CBI for investigation by the Government of Kerala vide GO (MS) No.130/2011/Home/Trivandrum dated 18.6.2011 i.e. Notification U/s 6 of the DSPE Act, 1946. Subsequently, the Central Government also issued Notification U/s of the DSPE Act, 1946 on 14.07.2011 for the investigation of the said cases by the CBI. Investigation has revealed that M/s Future Gaming Solutions (India) Pvt. Ltd. (FGSIPL), Coimbatore during the period from 18.10.2009 to 17.10.2010 has remitted an amount of Rs. 96.06 crore (Rs. Ninety six crores and six lakhs only) against the total sale proceeds out of sale of lotteries of Rs. 3751.21 crores (Rs.Three thousand seven hundred fifty one crore and twenty one lakhs only) . As per the provisions of Lottery (Regulation) Rules,2010 M/s FGSIPL should have deposited the entire sale proceeds to the Treasury of Government of Sikkim and then claimed reimbursement from Sikkim Government. Further, the Sikkim Government did not ensure that the proceeds of the sale of lottery tickets were credited into the consolidated fund. M/s FGSIPL had thus not paid 97.44% of the sale proceeds to the Government of Sikkim. It is pertinent to mention here that during investigation of the lottery cases, the consent of the Government of Sikkim U/s 6 of DSPE Act, 1946 was sought. However, the Government of Sikkim had declined to give consent U/s 6 of the DSPE Act, 1946. Hence, investigation w.r.t. violations/irregularities could not be conducted on the part of the officials of Sikkim Government. The CBI has filed charge-sheet in seven cases, closure report for 22 cases which is being contested by the Government of Kerala and investigation is still going on in the remaining 3 cases. In view of the reasons mentioned above, the CBI requested that the ban imposed on the sale of tickets of the Sikkim State Lotteries in Kerala may be extended further.

8. In view of the analysis of the statement given by the Sikkim State Lotteries vide its letter dt. 9.3.2015, submissions made by the Government of Kerala and the CBI, the Central Government is of the view that Government of Sikkim has not followed the provisions of the Lotteries (Regulation) Act,1998 and the Lotteries (Regulation) Rules,2010 in full letter and spirit. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Lotteries (Regulation) Act,1998 read with Rule 5 of the Lotteries (Regulation) Rules,2010, the Central Government hereby passes the following order: -

"**The ban imposed by the Government of India, Ministry of Home Affairs vide GSR-883 dated 15.12.2011, on the sale of Government of Sikkim lotteries in the State of Kerala, shall continue till further orders. Based on the outcome of the CBI inquiry in all cases related to conduct of illegal sale of Sikkim lotteries in Kerala and verdict by the trial court, the Sikkim Government may submit its proposal for revoking of ban on the sale of Sikkim State Lotteries in the State of Kerala to the Central Government".**

Sl. No.	State(Sikkim, Kerala, Maharashtra etc.	Year	Total No. of tickets printed.	Total Face values (MRP)	No. of tickets sold.	No. of unsold/ returned tickets	Amount deposited in the Consolidated fund of Sikkim	Money disbursed in prizes	Amount earned/ retained by the Distributor.	Remarks
1	SIKKIM	2010	-	-	-		-	-	Cannot be ascertained	1. With regard to Column (5), it is to mention here that there are different MRP's for different tickets varying from Rs.2 to Rs.100 for various different schemes of weekly and bumper lotteries. It is, therefore, difficult to ascertain the total face value of tickets on the basis of MRP and derive at one single amount. 2. (i) In regard to column (8) of Sl.No.7, it is to state that no revenue collected from individual states has been deposited in the consolidated fund of the State. However, the total collection from different states has been clubbed together and deposited in the consolidated fund of the Sikkim. (ii) It is further to add that the amount so deposited in the said consolidated fund includes: (a) Txable Prize Money inclduing Central Tax Amount (b) Printing, Paper and Transportation charges. (c) Minimum Assured Revenue to this State Govt. as per the Agreement. 3. (i) the amount shown in Column (9) includes the amounts of both taxable and Non-taxable prizes. (ii) The amount on Column (8) includes the payments made for various charges as indicated in remarks 2 above and also includes the payments remitted for taxable prize amounts to be disbursed by the Government to the Prize winners/claimants.
		2011	19900000	29031137	19900000			25326656	Cannot be ascertained	
		2012	303200000	429734243	303200000			413698899	Cannot be ascertained	
		2013	227440000	332468120	227440000			315972769	Cannot be ascertained	
		2014	14000000	56597629	14000000			50112560	Cannot be ascertained	
			564540000	**847831129**	**564540000**			**805110884**		
2	KERALA	2010	5342550000	22733340129	2705083670	2637466330		22403843924	Cannot be ascertained	
		2011	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2012	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2013	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2014	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
			5342550000	**22733340129**	**2705083**	**2637466330**		**22403843924**		
3	MAHARASHTRA	2010	3850000	12613108	1483895	2366105		11461114	Cannot be ascertained	
		2011	-	-	-	-		-	Cannot be ascertained	
		2012	22500000	332047592	22500000	-		323299540	Cannot be ascertained	
		2013	6000000	48923902	4183600	1816400		44199865	Cannot be ascertained	
		2014	91440000	647131851	74583050	16856950		610686322	Cannot be ascertained	
			123790000	**1040716453**	**102750545**	**21039455**		**989646841**		
4	GOA	2010	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2011	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2012	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2013	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2014	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
5	PUNJAB	2010	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2011	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2012	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2013	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
		2014	-	-	-	-	-	-	Cannot be ascertained	
6	WEST BENGAL	2010	5624145500	4963981462	3032577123	2591568377	-	4949276613	Cannot be ascertained	
		2011	19280189200	27936996166	17903186736	1377002464	-	27588897958	Cannot be ascertained	
		2012	25582200000	36204865580	25582200000	-	-	35677269236	Cannot be ascertained	
		2013	38219550000	59553311935	38219550000	-	-	58723221221	Cannot be ascertained	
		2014	24325250000	85320626030	24325250000	-	-	84717061841	Cannot be ascertained	
			113031334700	**213979781173**	**109062763859**	**3968570841**		**211655726869**		
7	Amount deposited in the consolidated fund of Sikkim	2010					779991876			
		2011					402897283			
		2012					663873378			
		2013					969266170			
		2014					728651026			
			118554128700	**238601668884**	**112435138074**	**6627076626**	**3544679733**	**235854328518**		

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.